उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के रिक्त पद

321. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उच्च न्यायालयों में अस्थायी मुख्य न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं और कब से तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) स्थायी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) तारीख 22-2-1988 को, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों को मुख्य न्यायमूर्तियों के पद रिक्त थे :—

1. इलाहाबाद	16-7-1987
2. पटना	2-1-1988
3. मध्य प्रदेश	18-1-1988
4. आन्ध्र प्रदेश	2-2-1988

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति में संबंधित सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श से विचार-विमर्श अंतर्वलित है। यह बताना संभव नहीं है कि इन उच्च न्यायालयों में कब तक स्थायी मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की जा सकेगी ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

322. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं और वे कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) इन पदों के भरे जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन पदों पर कब तक नियुक्तियां कर ली जाएंगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) तारीख 22-2-1988 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 9 पद रिक्त थे। इनमें से 8 पद तारीख 9-5-86 को तब रिक्त हुए थे जब उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या 18 से बढ़ाकर 26 की गई थी और नवीं रिक्त तारीख 25-9-87 को होने वाली सेवानिवृत्ति से हुई ।

इन पदों को भरे जाने का समय बताना संभव नहीं है । न्यायाधीशों के चयन में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विचार-विमर्श करना अन्तर्वलित है ; इसमें समय लगता है क्योंकि प्रयास सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का रहता है ।

Repression of Palestinians by Israel

323. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the repression of Palestinians by Israel for the last two months;

(b) whether Government have raised the matter in the U.N. and other International Forums, if so, the outcome thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government have strongly condemned Israeli atrocities against the Palestinian inhabitants of the occupied tertories during the United Nations Security

Council debate and India co-sponsored a resolution on the subject in the U.N. Human Rights Commission. A meeting of the NAM Committee of Nine on Palestine of which India is a member is also being convened shortly at the ministerial level to discuss this matter.

Indiscriminate firing by Pak troops in Poonch (Rajouri Sector)

324. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

SHRI SHANTI TYAGI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Pakistani troops have recently made indiscriminate firings along the line of control in Poonch and Rajouri Sector;

(b) if so, what steps the Indian army took to counter indiscriminate firings by Pakistani troops; and

(c) whether Government have taken any steps to prevent such firings by Pak troops frequently?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) There have been some cases of unprovoked firing by Pakistani troops along the Line of Control in Poonch and Rajouri Sectors of J&K. during the recent months. However, such firing incidents are not uncommon.

(b) and (c). Our Armed Forces are on constant vigil to meet any threat to the security of the country. Flag meetings at local commanders' level are held to defuse the situation as and when the need arise.

पारपत्रों (पासपोर्टों) का जारी किया जाना

325. **श्री शरद यादव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारपत्र जारी किये जाने से पूर्व किन-किन विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है ;

(ख) क्या इन विभागों में तालमेल रहता है यदि हां, तो पारपत्र के जारी किये जाने के लिये प्रक्रिया में, विभागवार, प्रत्येक विभाग के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है जिसमें इन विभागों ने निर्धारित समय-सीमा और अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है और उनके विरुद्ध किस प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पहचान, वृत्त राष्ट्रीयता आदि के सत्यापन के बाद ही पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। सरकार के अन्य विभागों से उन्हीं मामलों में मशवरा लिया जाता जबकि पासपोर्ट आवेदक केन्द्र सरकार का अथवा किसी राज्य सरकार का या किसी सरकारी प्रतिष्ठान का कर्मचारी हो ताकि उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी हो सके।

(ख) यह मंत्रालय और पासपोर्ट कार्यालय, स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रहते हैं ताकि सत्यापन प्रपत्र शीघ्र वापस प्राप्त हो सकें। सत्यापन प्रपत्रों की वापसी के लिये कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है क्योंकि इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। यह पाया गया है कि स्थानीय पुलिस प्राधिकारी सत्यापन प्रपत्र को लौटाने में 1 महीने से लेकर 3 महीने से ज्यादा तक का समय लगा देते हैं। दूसरी तरफ पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश हैं कि स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर पासपोर्ट जारी कर दें।

(ग) हाल ही में सम्पन्न पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन में यह फैसला किया गया है जहां भी ये रिपोर्ट 3 माह के भीतर प्राप्त नहीं, गृह मंत्रालय के माध्यम से, यह मामला संबंधित राज्य सरकार के साथ भी उठाया जाए।